

कार्यालय वित्त अधिकारी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पत्रांक: वमखुवि/लेएववि/2014/ 5011-12

दिनांक 04/4/14

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि पूर्व में भारत विकास परिषद, कोटा से जो “ केश लेस “ सुविधा चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध थी, कि समय सीमा 31 मार्च 2014 तक होने के कारण समाप्त की जाती है। उक्त व्यवस्था को पुनः बनाये रखे जाने हेतु समिति का गठन किया गया है, जिस पर निर्णय लिये जाने से समय लग सकता है।

अतः तत्काल प्रभाव से अन्य कोई भी “ केश लेस “ व्यवस्था लागू होने तक समस्त कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.09.13 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय जी से अनुमोदित है व तत्काल प्रभावी होगा।


वित्त अधिकारी

प्रभारी - EMPC - उक्त कार्यालय आदेश को समस्त विभाग/प्रभारी/कार्मिकों को अपने विभाग के वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करेंगे।


DR (ADF)

(445)

EMPC
262
5/4/14